भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1379

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

बंद पड़े यूरिया संयंत्रों का पुनरुद्धार

1379. डा. मन्ना लाल रावत:
श्रीमती डी.के. अरुणा:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंद पड़े यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार का क्या परिणाम निकला है और मार्च, 2025 में नामरूप-IVयूरिया परियोजना को दी गई स्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) उक्त पुनरुद्धार से विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्र में यूरिया की घरेलू उपलब्धता को किस प्रकार सुदृढ़ किया गया है;
(ग) क्या सरकार ने विशेषकर ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में बंद पड़े यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार के कारण सृजित अतिरिक्त क्षमता और आयात की मात्रा में कमी तथा उपलब्धता में सुदृढ़ता के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्तमान में राजस्थान राज्य में यूरिया विनिर्माण संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिनांक 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी) - 2012 की घोषणा की थी और दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया था। नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित कुल 4 यूरिया इकाइयों को एनआईपी-2012 के तहत पुनर्जीवित किया गया है। जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई और हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी तथा बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कुशल हैं क्योंकि वे नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इसलिए, इन इकाइयों ने मिलकर 50.8 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता जोड़ी है।

इसके अलावा, कोयला गैसीकरण मार्ग पर 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई के पुनर्जीवन के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। 31 दिसंबर, 2025 तक परियोजना की कुल प्रगति 70.63 प्रतिशत है।

हाल ही में, मंत्रिमण्डल ने दिनांक 19.03.2025 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को किए गए संशोधनों के साथ पठित नई निवेश नीति, 2012 के तहत 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ 10601.40 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल परियोजना लागत पर संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर में यूरिया उत्पादन की 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परिसर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बीवीएफसीएल की 11% हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम कंपनी को अंतरित की जाने वाली मूर्त संपत्तियों के बदले में है। परियोजना के चालू होने का संभावित कुल समय 48 महीने है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी, नामत: असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) को निगमित किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21.12.2025 को डिब्रूगढ़, असम के नामरूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया-यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उर्वरक सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू यूरिया में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नामरूप-IVउर्वरक संयंत्र की परिकल्पना की गई है। यह ऊर्जा-कुशल यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, घरेलू मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करेगा, आस-पास के प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

इसके अलावा, सरकार ने आरएसी से अधिक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक के साथ मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 को अधिसूचित किया। एनयूपी-2015 के कारण 2014-15 की तुलना में वार्षिक रूप से 20-25 एलएमटी यूरिया का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त उपायों से यूरिया उत्पादन 2014-15 के दौरान रहे 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में मदद मिली है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ।

बंद यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के परिणामस्वरूप जहां तक अतिरिक्त क्षमता सृजित होने और आयात में कमी लाने का संबंध है, यूरिया उत्पादन और आयात से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	यूरिया का उत्पादन (एलएमटी में)	यूरिया का आयात (एलएमटी में)
1.	2020-2021	246.05	98.28
2.	2021-2022	250.72	91.36
3.	2022-2023	284.94	75.80
4.	2023-2024	314.09	70.42
5.	2024-2025	306.67	56.47
6.	2025-2026 (दिसंबर-25 तक)	224.53	79.97

चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र सहित राज्यों में यूरिया की आवश्यकता उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): वर्तमान में राजस्थान राज्य में यूरिया उत्पादन संयंत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	उत्पादन क्षमता (मीट्रिक टन में)
1.	एसएफसी-कोटा	379500
2.	सीएफसीएल-गड़ेपान-I	864600
3.	सीएफसीएल-गड़ेपान-II	864600
4.	सीएफसीएल-गड़ेपान-III	1270500

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 06.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1379 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

रबी 2025-26 (02/02/26 तक) के लिए राज्य-वार उर्वरक उपलब्धता की स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	यूरिया				
		रबी 2025-26 के लिए आवश्यकता	01/10/25 से 02/02/26 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/25 से 02/02/26 तक उपलब्धता	01/10/25 से 02/02/26 तक संचयी डीबीटी बिक्री	02/02/26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2	आंध्र प्रदेश	9.38	6.87	8.58	7.21	1.38
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	1.17	1.72	1.38	0.34
5	बिहार	13.50	10.93	12.48	10.86	1.61
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	2.88	2.61	2.89	1.46	1.42
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.12	0.11	0.09	0.02
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
12	गुजरात	13.90	11.30	12.41	11.03	1.38
13	हरियाणा	11.60	10.06	12.02	10.38	1.64
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.29	0.51	0.32	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	0.68	0.28	0.70	0.34	0.36
16	झारखंड	1.20	0.91	1.30	0.85	0.45
17	कर्नाटक	7.60	5.18	7.76	4.73	3.03
18	केरल	0.62	0.51	0.55	0.41	0.15
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	22.52	24.34	22.17	2.18
21	महाराष्ट्र	11.25	8.22	12.06	8.20	3.86
22	मणिपुर	0.09	0.06	0.07	0.04	0.02
23	मेघालय	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.90	1.06	2.20	0.88	1.32
27	पुदुचेरी	0.08	0.06	0.06	0.05	0.01
28	पंजाब	15.00	13.07	16.01	12.82	3.19
29	राजस्थान	15.00	13.97	17.34	15.71	1.64
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.50	4.97	6.05	4.77	1.29
32	तेलंगाना	10.40	7.31	8.41	7.27	1.15
33	त्रिपुरा	0.10	0.06	0.11	0.04	0.07
34	उत्तराखंड	1.01	0.74	0.99	0.84	0.15
35	उत्तर प्रदेश	40.00	33.36	41.40	33.95	7.45
36	पश्चिम बंगाल	8.20	5.85	8.83	5.73	3.10
अखिल भारत		**196.06**	**161.50**	**198.95**	**161.55**	**37.43**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री